राजस्थान सरकार

निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान,जयपुर

क्रमांक::प.2485/पी.एफ./संस्था/बीमा/2021/ दिनांक : 15-12-2021

आदेश 557

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के **श्रीमती रेखा व्यास, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, जिला कार्यालय चित्तौड़गढ, राजस्थान का राजकीय सेवा में रहते हुये दिनांक 03.05.2021** को निधन हो जाने पर उनकी आश्रित पुत्री **सुश्री निमिशा शर्मा** को विभाग में मृतक आश्रितों की नियुक्ति हेतु गठित कमेटी की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितो को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के अन्तर्गत कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक:प.7(2)डीओपी/क–2/2005 दिनांक 20.01.2006, वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ12(6)वित्त/नियम/05 दिनांक 13.03.2006 एवं एफ1(2) वित्त/नियम/2006 दिनांक 13.03.2006 में उल्लेखित शर्तो पर 2 वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन काल में **कनिष्ठ सहायक** के पद पर नियुक्ति दी जाती हैं।

सुश्री निमिशा शर्मा को विभागीय कार्यालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, **भीलवाड़ा** में पदस्थापित किया जाता है। अभ्यर्थी को 15 दिवस में कार्यग्रहण(Duty Joining) करना होगा।

उक्त प्रावधानों के तहत उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई आधार पर **कनिष्ठ सहायक** के पद पर निम्न शर्तो के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है :–

1 आवेदक की कक्षा 10 की अंकतालिका/ प्रमाण पत्र के अनुसार **जन्मतिथि 27.01.2003** अंकित है।

2 इन्हें परिवीक्षा की कालावधि के दौरान वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांकः एफ.15(1)एफडी (नियम)/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2017 के नियम 16 अनुसूची–4 में उल्लेखित शर्तो के अनुसरण में दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer -Trainee) के रूप में नियत पारिश्रामिक 14,600/–(Fixed Remuneration) की दर से मासिक भुगतान किया जाएगा।

3 इनके द्वारा परिवीक्षा की कालावधि में नियमित/निरन्तर संतोषजनक सेवा सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर रनिंग पे बेण्ड 5200–20200 (पे–मेट्रिक्स लेवल संख्या 5) में निर्धारित सम्बन्धी आदेश पृथक से जारी किये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

4 **अभ्यर्थी को कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 02.01.2017 एवं परिपत्र दिनांक 04.05.2017 के अनुसार सुसंगत नियमो में यथाविहित कम्प्यूटर योग्यता नियुक्ति के पश्चात् परिवीक्षाकाल में अर्थात 02 वर्ष में अर्जित करना अनिवार्य है और यदि वह उक्त अवधि में कम्प्यूटर योग्यता अर्जित नहीं करता है तो जितनी लम्बी अवधि से वह कम्प्यूटर योग्यता अर्जित करेगा, उसका परिवीक्षाकाल उतनी ही अवधि का आगे बढ़ जायेगा।**

5 **कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 02.01.2017 के अनुसार अभ्यर्थी को स्थायीकरण के लिए हकदारी हेतु ऐसा प्रशिक्षण या विभागीय परीक्षा या अंग्रेजी अथवा हिन्दी में से किसी एक भाषा में कम्प्यूटर टंकण परीक्षा तीन वर्ष के भीतर, जब तक कि कार्मिक विभाग द्वारा कालावधि शिथिल न की जाये, उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी, जिसमें विफल होने पर उसकी नियुक्ति समाप्त होने के दायित्वाधीन होगी। जब तक वह ऐसी अर्हताएं अर्जित नहीं कर लेता हैं तब तक उसे कोई वार्षिक ग्रेड वेतनवृद्धि अनुज्ञात नहीं की जावेगी। ऐसी अर्हताएँ अर्जित करने पर उसे नियमानुसार काल्पनिक रूप से वेतन वृद्धियां अनुज्ञात की जावेगी, किन्तु कोई बकाया संदत्त नहीं किया जावेगा।**

6 राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग–I अध्याय में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता संदत्त नही होगा।

7 यदि अभ्यर्थी निश्चित अवधि 15 दिवस में भी रिपोर्ट नही करता है और न ही किसी प्रकार की सूचना विभाग को भिजवाता है तो उसके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेगें।

8 कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 27.02.2001 के अनुसार मृतक के अन्य आश्रितों का उचित तौर पर भरण पोषण नहीं करने की स्थिति में अभ्यर्थी की यह नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

F:\APPOINTMENT ORDER LDC-2485 NIMISHA.DOC

9 राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश सं. एफ.13(1)एफ.डी./रूल्स/2003 दिनांक 28.01.04 एवम् 27.03.04 के तहत नवीन **अंशदायी पेंशन योजना** के प्रावधान लागू होंगें एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हों, उनके अधीन ही सेवा एवं सेवा लाभ देय होंगें।

10 कार्यग्रहण करते समय अभ्यर्थी को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे–

1. **पुलिस चरित्र सत्यापन** 2. **सक्षम स्तर से जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र** 3. शैक्षणिक योग्यता, जन्म तिथि का प्रमाण–पत्र, 4. परिवार का विवरण, 5. दो राजपत्रित अधिकारियों से प्राप्त चरित्र प्रमाण–पत्र, 6. दहेज नहीं लेने–देने का शपथ पत्र, दिनांक 01.06.2002 के पश्चात दो से अधिक संतान नहीं होने सम्बन्धी शपथ पत्र/घोषणा पत्र एवं अन्य शपथ पत्रों की मूल प्रतियां कार्यग्रहण करते समय सक्षम अधिकारी के समक्ष पेश कर सत्यापित प्रतियां(एक सेट) प्रस्तुत करना होगा अन्यथा कार्यग्रहण नहीं करवाया जायेगा।

(शरद मेहरा)
निदेशक
राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक::प.2485/पी.एफ./संस्था/बीमा/2021/10702-712 **दिनांक :** 15-12-2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, निदेशक महोदय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य लेखाधिकारी,राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, उदयपुर संभाग, अजमेर संभाग।
4. संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, **चित्तौडगढ़, भीलवाड़ा।**
5. **सुश्री निमिशा शर्मा**, पुत्री स्व **श्रीमती रेखा व्यास**, पताः– 3 सोमनाथ कॉलोनी, प्रतापनगर, चित्तौडगढ–312001 को प्रेषित कर लेख है कि आपको उक्त वर्णित बिन्दु संख्या 10 के अनुसार दस्तावेजों की पूर्ति करते हुए 15 दिवस में कार्यग्रहण करना सुनिश्चित करे।
6. केडर स्ट्रैंथ लिपिक/ सेवा पुस्तिका लिपिक/ वरिष्ठता निर्धारक लिपिक/ए.सी.आर. संधारित लिपिक, मुख्यालय, जयपुर
7. निजी पत्रावली/सम्बन्धित पत्रावली/रक्षित पत्रावली ।

15/12/2021
(किशनाराम ईशरवाल)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग,
राजस्थान, जयपुर

F:\APPOINTMENT ORDER LDC-2485 NIMISHA.DOC